कार्यालय आदेश

श्री पंकज कुमार, पद कानिष्ठ सहायक, आमेर जोन को राजस्थान सिलिंडर सेवा (लगाकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक 135 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा निलंबित किया गया था। कार्मिक की जांच समाप्त करते हुये निलंबन से बाहर किया जाता है। इनका पदस्थापन प्रचारिणी द्वितीय/प्रथम शाखा, मुख्यालय में किया जाता है।

उक्त आदेश आयूर्वत महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(अनिता मिश्रा)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:
1. निजी सहायक, महापीर उपमहापीर महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. उपायुक्त, आमेर जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. उपायुक्त, स्वास्थ्य प्रथम/द्वितीय नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
6. संस्थापन सिलिक्स/जोख शाखा
7. श्री
8. गार्ड फााईल

उपायुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

parveen ji/letter.....2020-21